

2017/00195

## न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

सौन अधिकारी - हरिसिंह लम्बोरा (आर0 ए0 एस0)  
करण संख्या- 105/2017

1-ओमप्रकाश पुत्र नत्थी 2-आदमसिंह पुत्र थानसिंह जातिगण लोधा निवासी ग्राम  
जागीरपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

बनाम

---वादीगण

- 1-ताराचन्द 2-चोबसिंह 3-रामखिलाडी 4-सुग्रीव पुत्रगण नत्थी जाति लोधा  
निवासीगण जागीरपुरा कला तहसील सैपऊ  
5-गिरजेश पुत्र भंवरसिंह जाति लोधा निवासी जागीरपुरा कला 6-महारानी पुत्री  
भंवरसिंह जाति लोधा निवासी जागीरपुरा कला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर  
7-निहालसिंह पत्नी गंगाधर जाति त्यागी निवासी नगला हरलाल तहसील सैपऊ  
8-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

--- प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त एवं स्थाई  
निषेधाज्ञा धारा 53, आीटीए



उपस्थिति -1-श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ..... (वादी)

निर्णय

दिनांक 10.07.2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 18.12.2013 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 3861, 3863, 3883, 3884, 3885, 3905, 3879, 3880, 414/5924, स्थित वाके ग्राम जागीरपुरा कला तहसील सैपऊ का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण उपस्थित आये एवं बटवारा कराने की सहमति जाहिर की तथा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 12.03.2014 को दावा प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाईं भीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्णय पारित किया गया था। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 17.09.2014 को प्रकरण अन्तिम डिक्री किया गया।

अन्तिम डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान भू0 प्रवन्द अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर केम्प धौलपुर के यहां अपील संख्या 42/2014 उनवानी सुग्रीव बनाम ओमप्रकाश बगौरा निर्णय दिनांक 15.06.2017 में इस आधार पर अपील डिक्री की, कि मुताविक राजीनामा अपील अधिनस्थ न्यायालय को

उपखण्ड अधिकारी  
सैपऊ

रिमाण्ड की जावें कि मुताविक राजीनामा प्रकरण अन्तिम रूप से निर्णय किया जावें तथा मताविक राजीनामा नक्शे में तरमीम की जावें । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को अदालती नोटिस तलव किये गये तथा प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव/राजीनामा अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम जागीरपुरा कलौ तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1. आदमसिह पुत्र थानसिह कौम लोधा निवासी साकिन देह

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा बीघा में
1.	3863/1	0.03
2.	3880/1	2.10
3.	3905/1	0.07

योग 3 3.00

2. निहालदेई पत्नी गंगाधर कौम त्यागी निवासी नगला हरलाल तहसील सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	3879	1.05
2.	3880/2	0.07

योग 02 1.12

3. ओमप्रकाश पुत्र नत्थी जाति लोधा साकिन देय तहसील सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	4114/5924	0.16
3.	3885/1	1.05
4.	3885/2 मे से	0.03

योग 03 2.04

4. चोबसिह पुत्र नत्थी जाति लोधा साकिन देय तहसील सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	3905/1	0.15
2.	3884/4 मे से	0.12
3.	3883	0.02

योग 3 1.09

3

उपखण्ड अधिकारी  
सैपऊ

संखण्ड से रिमाण्ड की जावें कि मुताविक राजीनामा प्रकरण अन्तिम रूप से निर्णय  
की जावें तथा मुताविक राजीनामा नक्शे में तरमीम की जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को अदालती नोटिस तलव  
किये गये तथा प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार निर्णय पारित  
करने का निवेदन किया ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव/राजीनामा  
अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम  
जागीरपुरा कलौ तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया  
जाता है :-

1. आदमसिंह पुत्र थानसिंह कौम लोधा निवासी साकिन देह

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा बीघा में
1.	3863 / 1	0.03
2.	3880 / 1	2.10
3.	3905 / 1	0.07

योग 3 3.00

2. निहालदेई पत्नी गंगाधर कौम त्यागी निवासी नगला हरलाल तहसील सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	3879	1.05
2.	3880 / 2	0.07

योग 02 1.12

3. ओमप्रकाश पुत्र नत्थी जाति लोधा साकिन देय तहसील सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	4114 / 5924	0.16
3.	3885 / 1	1.05
4.	3885 / 2 मे से	0.03

योग 03 2.04

4. चोबसिंह पुत्र नत्थी जाति लोधा साकिन देय तहसील सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	3905 / 1	0.15
2.	3884 / 4 मे से	0.12
3.	3883	0.02

योग 3 1.09

3

उपखण्ड अधिकारी  
सैपऊ

गुडडी पुत्र नत्थी जाति लोधा साकिन देह तहसील सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	3885 / 2	1.02
2.	3884 मे से	0.07
योग	02	1.09

6-सुग्रीव पुत्र नत्थी जाति लोधा साकिन देह तहसील सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	3884 / 1	1.08
योग	1	1.08

7-गिरजेश पुत्र व महारानी पुत्री भंवरसिंह जाति लोधा साकिन देह तहसील सैपऊ

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	3861 / 2	0.14
2.	3863 / 7	0.02
योग	02	0.16

8. राजवती पत्नी ताराचंद, मोहनसिंह, मुन्नालाल, जयपाल पुत्रान व, मुन्नी पुत्री ताराचंद पत्नी होतम जाति लोधा ग्राम दिहोली तहसील राजाखेडा, गुडडी पुत्री ताराचंद पत्नी शिवसिंह जाति लोधा निवासी दिहोली तहसील राजाखेडा, गुडियां पुत्री ताराचंद पत्नी अशोक जाति लोधा निवासी बुरहरा तहसील खेरागढ, सुनीता पुत्री ताराचंद पत्नी भूरीसिंह जाति लोधा निवासी बुरहरा तहसील खेरागढ, रामगोपाल, बालकिशन, सोनू, भरत पुत्रगण माया जातिगण लोधा निवासीगण रिठौरी तहसील खेरागढ उत्तरप्रदेश

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	3861 / 1	1.00
2.	3884 / 5	0.09
3.	3863 / 6	0.02
योग	03	1.11

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सैपऊ

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.07.2019 को खुले  
सुनाया गया ।

(हरिसिंह लम्बोरा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सं. प्र. उ.  
सं. प्र. उ.

